संख्या : 68 /XLI-1/2016–15/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
जी0 बी0 पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज,
घुड़दौड़ी (पौड़ी)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक : 10 फरवरी, 2016**

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत "इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी में अनुसूचित जाति/जनजाति के 48 छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण कार्य" हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या 243/XLI-1/2015–15/2015 दि0 31.03.2015 एवं आपके पत्र संख्या–1563/48/SC/ST/2015 दिनांक 21.12.2015 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजनान्तर्गत 'आयोजनागत पक्ष' में प्राविधानित कुल धनराशि **₹ 110.00 लाख (₹ एक करोड़ दस लाख मात्र)** की निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. उक्त योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के लक्षित वर्ग को ही प्राप्त होना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त कार्य इसी संस्तुत धनराशि से समयबद्धता एवं वांछित गुणवत्तापूर्वक सम्पादित कराया जाएगा जिस हेतु आगणन/डी.पी.आर. का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
3. उक्त धनराशि का वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 400/XXVII(1)/2014 दिनांक 01.04.2015, में निहित दिशानिर्देशानुसार व्यय किया जाएगा।
4. धनराशि का व्यय एल–1 निविदा (न्यूनतम निविदा) के आधार पर कराया जाएगा तथा तद्नुसार बचत की धनराशि को शासन को समर्पित किया जाएगा।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
6. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप उपयुक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।

क्रमशः......2

9. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी।
11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
12. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
14. उक्त अनुदान का देयक कॉलेज के प्राचार्य/वित्त अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में आय–व्ययक के **'अनुदान संख्या 30'** के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–00–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान–05–इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी" के मानक मद "35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" में प्राविधानित **₹ 75.00 लाख** तथा **'अनुदान संख्या–31'** के 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–00–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान–03–इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी" के मानक मद "35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" में प्राविधानित **₹ 35.00 लाख** के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. H1512301883 तथा H1512311885 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 01.04.2015 एवं दिनांक 17.11.2015 के द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

क्रमशः.....3

संख्या : 08 (1)/XLI(1)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
6. परियोजना प्रबंधक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., इन्जीनियरिंग कॉलेज इकाई, पौड़ी।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस. एस. टोलिया)
संयुक्त सचिव।